न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या :–01/2016 वर्षः– 2016

पीठासीन अधिकारीः– वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.

1. जगसीरसिंह पुत्र भागसिंह जाति जटसिख निवासी 3 एक्स त. श्री करणपुर
2. दर्शनसिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एक्स तहसील देह

बनाम

1. ग्राम पंचायत 2 एक्स तहसील श्री करणपुर जरिये सरपंच।
2. सचिव ग्राम पंचायत 2 एक्स तहसील श्री करणपुर।
3. हरदेवसिंह पुत्र दलीपसिंह, कम्बोज सिख, 3 एक्स त. श्री करणपुर
4. दलीपसिंह पुत्र रलासिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 3 एक्स तहसील श्री करणपुर के जायज वारिसान :–

4/1. हरदेवसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 3 एक्स
4/2. अवतारसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 3 एक्स
4/3. हरजीतसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 3 एक्स
4/4. चरणकौर पुत्री दलीप सिंह पत्नी दर्शनसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 3 एक्स
4/5. प्रजीतकौर पुत्री दलीपसिंह पत्नी स्वर्णसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 40 एच
4/6. बच्चन कौर पुत्री दलीपसिंह पत्नी दयालसिंह जाति कम्बोजसिख नि0 16 जैड
4/7. स्वर्ण कौर पुत्री दलीप सिंह पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति कम्बोजसिख 40 जी.बी.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध प्रस्ताव ग्राम पंचायत 2 एक्स जिसकी रूह से चक 3 एक्स की आबादी में स्थित गवाड़(चौक) की जगह को रिहायशी भूखण्ड के रूप में अलाट करने बाबत

उपस्थितः–

1. श्री इन्द्रजीतसिंह बिश्नोई, एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री गुरविन्द्र सिंह एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 16/6/17

प्रार्थीगण द्वारा निगरानी पेश अदालत की गई कि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा गांव के चौक की जगह में अतिक्रमण कर मकानात बना लिये गये हैं। अप्रार्थीगण को कब्जा हटाने के लिए कहा गया तो उन्होने बताया कि ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया जाकर हमें भूखण्ड अलाट किये हुए है लेकिन पटटा दिखाने के लिये कहने पर कोई पटटा नहीं दिखाया गया। ग्राम पंचायत से अप्रार्थीगण के भूखण्डो के प्रस्ताव तथा पटटों की नकल दिये जाने का आग्रह किया गया तो कहा गया कि उनके पास कोई रिकार्ड भी उपलब्ध नही है। ग्राम पंचायत 2 एक्स द्वारा प्रस्ताव पारित करने, पट्टाजात जारी करने से पूर्व न तो कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है न ही आपति सूचना प्रकाशित की गई है तथा न ही पंचायत को कानूनन गांव के चौक की जगह को आवंटन करने/विकय करने का कोई हक हासिल है। अतः अप्रार्थीयान 3, 4 को चौक की जगह का आवंटन/विकय खिलाफ कानून व बिला अधिकार होने से निरस्तनीय है। चौक की जगह को आवंटित किये जाने से ग्राम की सुन्दरता पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है व आवागमन में बाधा होती है। प्रार्थीगण गांव के निवासी होने के कारण प्रभावित व्यक्ति हैं अतः निगरानी पेश करने का अधिकार है। पंचायत का रिकार्ड मंगवाकर गवाड़ की जगह किये गये आवंटन/विकय को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई व अप्रार्थीगण का सुनवाई हेतु तलब किया गया। निगरानी के अप्रार्थी सख्या 04 का देहान्त होने पर प्रार्थना पत्र पेश होने पर उनके स्थान पर बाद सुनवाई उसके जायज वारिसान संख्या 4/1 से 4/7 को पक्षकार

रिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

द... गया। उनकी ओर से श्री गुरविन्द्र सिंह एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया ... पैरवी की गई।

बहस उभय पक्षीय सुनी गई। प्रार्थीगण के लायक अभिभाषक का बहस मे कथन है कि ... संख्या 3 व 4 को ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये चौक की सार्वजनिक भूमि का विक्रय/आवंटन कर दिया गया है। जिसका कोई रिकार्ड संधारित नहीं किया गया व चाहे जाने पर प्रतिलिपि भी उपलब्ध नहीं करवाई गई। चौक का आवंटन अथवा विक्रय किसी भी तरीका से नहीं किया जा सकता। अप्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण कर लिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा किया गया आदेश निरस्तनीय है।

अप्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा बहस का उत्तर देते हुए कथित किया कि ग्राम पंचायत के आदेश की निगरानी होती है। ग्राम पंचायत का कोई आदेश ही नहीं है। यदि कोई कब्जा किया गया है तो सार्वजनिक उपताप लोक न्यूसैंस का मामला बनता है। निगरानी के आधार कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता।

उभयपक्ष बहस में उठाये गये तर्को पर विचार किया गया। ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत 2 एक्स की रिपोर्ट के अनुसार संबंधित रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है केवल नक्शा ही उपलब्ध है, शेष रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नक्शाजात से चौक की भूमि का आवंटन किया जाना प्रमाणित नहीं होता। किसी प्रकार का पट्टा प्रस्तुत नही किया गया है अतः निगरानीकृत आदेश का अभाव होने के कारण किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। निगरानी पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति के साथ नक्शा ग्राम पंचायत वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

[redacted]

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)

Regd

क्रमांक :- 1468 दिनांक :- 19-6-17

प्रतिलिपि :- सचिव ग्राम पंचायत 2 एक्स पं०स० श्रीकरणपुर को निर्णय की प्रति पालनार्थ व ग्राम पंचायत 3 एक्स का मूल नक्शा संलग्न

[redacted]

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर